

13-10-2011

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.2(1)साप्र/2/2011

जयपुर, दिनांक

7 OCT 2011

—: आदेश :-

श्री शारदा प्रताप सिंह, आई.एफ.एस., उप सचिव, मुख्यमंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर जिनकी द्वितीय श्रेणी की वरियता संख्या 31/2011 तथा सेवानिवृत्ति दिनांक 30.6.2037 है के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर राजकीय आवास संख्या 11/17 (रिक्त होने की प्रत्याशा में) गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :-

अर्त:-

1. आवास का कब्जा आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास के रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन रखीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजावाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहें हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर/अलवर।
4. विशेषाधिकारी, कार्मिक (क-1) विभाग।
5. उप सचिव (वी.पी.) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी अशा० टीप सं० मुम-उस(वी.पी.)/प-२(सप्रवि)/(जय)/11/67916 दिनांक 11.8.2011 एवं डायरी संख्या एफ11003717 दिनांक 7.10.2011 के कम में।
6. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन भवन, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजको०, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वौकी, गांधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्तें संख्या-३ की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
11. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि०, गांधीनगर, जयपुर।
13. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-६ की पालना को भी अमल में लावें।
14. श्री शारदा प्रताप सिंह, आई.एफ.एस., उप सचिव, मुख्यमंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. श्री आर.के. मोयल, आई.एफ.एस. निवारणी ११/१७, गांधीनगर, जयपुर—कृपया निर्धारित निवास की अवधि उपरान्त आवास रिक्त करावें।
16. निदेशक, उद्यान विज्ञा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
17. शासन सहायक सचिव (नोडल अधिकारी) सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर।
18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, सा.प्र.वि., जयपुर।
19. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।
20. रक्षित प्रशासनी।

शासन सहायक सचिव